छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण/संहिता

सामान्य नियम :– छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

(i) विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

(ii) प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

(iii) महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

(iv) प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

(v) महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

(vi) महाविद्यालय एवं छात्रावास की सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

(vii) महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(viii) वह अपनी माँगें, प्रदर्शन, आंदोलन तथा आतंक फैलाकर नहीं करेगें, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी माँगें मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

(ix) महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

(i) प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी तथा वह NCC/NSS में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

(ii) विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।

(iii) ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।

(iv) अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

(v) व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्निचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

परीक्षा संबंधी नियम

(i) विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(ii) अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।

(iii) परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

(i) यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने का पता चला तो रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर 5 साल की कारावास की सजा या 500रु. जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(iii) यदि विद्यार्थी समय सीमा में भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

(iv) यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्राचार्य
दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन पर लगावें एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित एवं अनुमोदित कार्यक्रमों में पूरा-पूरा सहयोग दें।

2. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय आदि की सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक विद्यार्थी रुचि ले तथा उन्हें कायम रखने, सँवारने में सहयोग दे।

3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में विद्यार्थी पूरी तरह सहयोग दें और भाग लें।

4. विद्यार्थियों को सरल, निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए। अतएव विशेषकर महाविद्यालय की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। विद्यार्थियों को वेशभूषा की तड़क-भड़क या विलासिता शोभा नहीं देते। इसे छात्र-छात्राओं को ध्यान रखना चाहिए।

5. छात्र-छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्वक आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।

6. आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग विद्यार्थी नहीं अपनायेंगे।

7. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करेंगे और न इनसे कोई सहायता मांगेंगे।

8. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जायेगा।

9. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़े और किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा ही व्यवहार छात्र-छात्राओं को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।

10. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर विद्यार्थियों को चाहिए कि दोषी व्यक्ति को उचित दंड देने में सहयोग दें जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन, शांति और मनोयोग के साथ चल सके।

11. विद्यार्थियों को यह सावधानी रखनी होगी कि *किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उसका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जायेगा और वह महाविद्यालय में किसी भी प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकेंगे।*

12. उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार रैगिंग दंडनीय अपराध है। इस दुष्कार्य में लिप्त छात्र-छात्राओं को नियमानुसार पाँच वर्ष का कारावास, तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित अथवा संस्था से निष्कासित किया जा सकता है।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

5679

भाग - 1 — Part - 1

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

अधीन सेवा करने वाला शासकीय सेवक समझा जायेगा, भले ही उसे राज्य की संचित निधि को छोड़कर अन्य किन्हीं स्रोतों से वेतन दिया जाना हो।

(ग) शासकीय सेवक के संबंध में ''**कुटुम्ब के सदस्यों**'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, जैसी भी दशा हो, चाहे वह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो या नहीं किन्तु उसमें, यथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति सम्मिलित नहीं है, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा शासकीय सेवक से पृथक्करण हो गया हो।

(दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस (शासकीय सेवक) पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार आश्रित न रहा हो, या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया हो, सम्मिलित नहीं है।

(तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, संबंधित हो और शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

3. सामान्य.— (1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही—

(एक) पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा;

(दो) कर्तव्यपरायण रहेगा; और

(तीन) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो।

(2) (एक) पर्यवेक्षीय पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों को, जो कि तत्समय उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन हो, सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करने के हेतु समस्त संभव उपाय करेगा।

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, उस अवस्था को छोड़कर जबकि वह अपने पदीय वरिष्ठ के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार न करके अन्यथा कार्य नहीं करेगा और जहां वह ऐसे निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्देश, जहाँ के व्यवहार्य हो, लिखित में प्राप्त करेगा, और जहाँ निर्देश लिखित में प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हो, वहाँ वह उस निर्देश के दिये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा।

व्याख्या.— उपनियम (2) के खण्ड (दो) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा, कि वह शासकीय सेवक को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह वरिष्ठ पदाधिकारी या प्राधिकारी से अनुदेश या उसका अनुमोदन चाह कर अपने उत्तरदायित्वों से बच जाय, जबकि ऐसे अनुदेश व्यक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के विभाजन की योजना के अधीन आवश्यक न हों।

***3-क. तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार.**— कोई भी शासकीय सेवक--

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा;

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

* नियम 3-क एवं 3-ख — सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा अंतःस्थापित [म.प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 25-5-2000]

Scanned with CamScanner

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा;

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो;

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उसे भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिये अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा।

***3-ख. शासन की नीतियों का पालन.—** प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय पर—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा;

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा।

4. शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट संबंधियों का नौकरी में रखा जाना.— **(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिये अपने पद का या प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रयोग नहीं करेगा।

(2) (एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी ऐसी कम्पनी या फर्म में, जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार हो अथवा किसी ऐसे अन्य कम्पनी या फर्म में, जिसका शासन के साथ शासकीय तौर पर संव्यवहार हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को नौकरी स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु जब नौकरी स्वीकार करने के हेतु शासन की पूर्व मंजूरी लेने के लिये प्रतीक्षा करना शक्य न हो या नौकरी स्वीकार करना अन्यथा आवश्यक समझा जाये, तो मामले की रिपोर्ट शासन को की जायेगी और नौकरी, शासन की अनुज्ञा प्राप्त होने के अध्यधीन, अस्थायी रूप से स्वीकार की जा सकेगी।

(दो) शासकीय सेवक, जैसे ही उसे ज्ञात हो कि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट उपक्रम में नौकरी स्वीकार कर ली गई है, नौकरी के इस प्रकार स्वीकार किये जाने का प्रज्ञापन विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी प्रज्ञापित करेगा कि क्या उस उपक्रम के साथ उसका कोई पदीय संव्यवहार है या था :

परन्तु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी के मामले में ऐसा प्रज्ञापन देना आववश्यक नहीं होगा, यदि उसने खण्ड (एक) के अधीन पूर्व में ही शासन की मंजूरी प्राप्त कर ली है या शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी है।

(3) ऐसा कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कम्पनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा और किसी कम्पनी या फर्म या कि अन्य व्यक्ति को कोई संविदा न तो देगा और न मंजूर करेगा। यदि उसके कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उस कम्पनी या फर्म या उस व्यक्ति के अधीन नियोजित हो या यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी अन्य रीति में ऐसे विषय या संविदा में हित रखता हो और शासकीय सेवक प्रत्येक ऐसा विषय या ऐसी प्रत्येक संविदा अपने पदीय वरिष्ठ को निर्देशित करेगा और उसके पश्चात् वह विषय या संविदा का निपटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिसको कि वह निदेश किया गया हो।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

* नियम 3-क एवं 3-ख — सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा अंतःस्थापित [म.प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 25-5-2000].

** सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 5-2-76-3-एक, दिनांक 26-6-76 द्वारा उपनियम (1) स्थापित किया गया और उपनियम (2) तथा (3) में 'प्रायवेट अंडरटेकिंग' तथा 'अंडरटेकिंग' के स्थान पर 'कम्पनी या फर्म' स्थापित किया गया।

Scanned with CamScanner

5. राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.— (1) कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा।

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित शासन के लिये विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष अथवा अप्रयत्क्ष रूप में विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिये चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहां शासकीय सेवक अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वहाँ वह शासन को इस आशय की रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या कोई दल राजनैतिक दल है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन अथवा कार्यकलाप उपनियम (2) की व्याप्ति के भीतर आता है तो उस पर शासन का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में, न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा :

परन्तु—

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिये अर्ह शासकीय सेवक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहां वह ऐसा करे, वहां उस रीति का, जिसमें वह मत देना चाहता हो या उसने मत दिया हो, कोई संकेत नहीं देगा;

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता हुआ नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य के सम्यक् पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता देता है :

व्याख्या.— शासकीय सेवक द्वारा अपने शरीर, वाहन या निवास-स्थान पर, किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन इस उपनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत इस बात के समान होगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है।

6. प्रदर्शन तथा हड़तालें.— कोई भी शासकीय सेवक—

(एक) स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो कि भारत की प्रभुता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीप्त किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो, या

(दो) अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

†7. **शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन.**— कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा :

परन्तु आपात की दशा में अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश को, भूत-प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा।

8. **शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना.**— कोई भी शासकीय सेवक किन्हीं संघों में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा, जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत के प्रभुत्व तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों।

*9. **प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध.**— (1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक का *[प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया] का पूर्णतः या अंशतः न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालन करेगा और न उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो *[कोई अन्य मीडिया प्रसारण] में भाग लेगा और न किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक पत्रिका में, अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण (ब्राडकास्ट) या ऐसा लेख, विशुद्ध साहित्य कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो।

10. **शासन की आलोचना.**— कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्‌गार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर सकेगा—

(एक) जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन को किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो :

परन्तु नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित शासकीय सेवकों के किसी भी प्रवर्ग में सम्मिलित किसी शासकीय सेवक की दशा में, इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे शासकीय सेवकों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिये या उनमें सुधार करने के लिये ऐसे शासकीय सेवकों के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के रूप में उसके द्वारा सद्भावना से व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी, या

---

† नियम 7, सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक 1276-736-I (iii)-67, दिनांक 23-5-1967 द्वारा जोड़ा गया तथा म.प्र. राजपत्र दिनांक 4-8-1967 में प्रकाशित।

* यह संशोधन सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 द्वारा प्रकाशित किया गया। पूर्व प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उपनियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाय।

(तीन) उपनियम (2) में शब्द "रेडियो प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

(दो) जिससे कि राज्य शासन तथा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय, या

(तीन) जिससे कि केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेश राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय :

परन्तु इस नियम की कोई बात, शासकीय सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिये गये किसी वक्तव्य या व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी।

11. समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य.— (1) उपनियम (3) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई मंजूरी दे दी गई हो, वहाँ ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी शासकीय सेवक, केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की नीति या किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) शासन, संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ग) शासन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

12. अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना.— कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सद्भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कि ऐसी दस्तावेज या जानकारी देने के लिये वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा।

[1]**स्पष्टीकरण.—** किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसे फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुँच के लिये वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्तिक अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिये रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अंतर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा।

[2][**12-क. शासकीय जानकारी की संसूचना—** प्रत्येक शासकीय सेवक, अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक अनुपालन करने में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति को जानकारी संसूचित करेगा :

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक अनुपालन करने में, सिवाय, किसी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे कि वह ऐसा दस्तावेज या वर्गीकृत जानकारी संसूचित करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या वर्गीकृत जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करेगा।]

1. यह संशोधन सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ।
2. नियम 12-क म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. सी-5-2-2008-3-एक, दिनांक 27-9-2008 द्वारा जोड़ा गया।

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

13. चन्दा.— कोई भी शासकीय सेवक शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार के उद्देश्य के अनुसरण में किन्हीं निधियों के लिये या नकदी में या वस्तु के रूप में अन्य संग्रहणों के लिये न तो अंशदान मांगेगा, न अंशदान स्वीकार करेगा और न उनके इकट्ठा किये जाने में स्वयं को अन्यथा सम्बद्ध करेगा।

14. उपहार.— (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिये अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले करने वाले किसी [1][दूसरे] व्यक्ति को अनुज्ञा देगा।

व्याख्या.— अभिव्यक्त 'उपहार' में ऐसे निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या अन्य सेवा या कोई अन्य आर्थिक प्रलाभ सम्मिलित होंगे, जब कि वे शासकीय सेवक से कोई पदीय संव्यवहार न रखने वाले निकट संबंधी या स्वकीय मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये हों।

टिप्पणी.— (एक) आकस्मिक भोजन, उद्वाहन (लिफ्ट) या अन्य सामाजिक आतिथ्य, उपहार नहीं समझा जावेगा।

(दो) शासकीय सेवक किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि साथ उसका पदीय संव्यवहार हो या औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से मुक्तहस्त आतिथ्य या बारंबार आतिथ्य स्वीकार करने से बचेगा।

(2) विवाह, वर्ष दिवस, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर जब कि उपहार का दिया जाना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार की रिपोर्ट [2][उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर] करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][1,500 रुपये];

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][700 रुपये] और

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][250 रुपये]।

(3) ऐसे अवसरों पर, जो कि उपनियम (2) में उल्लिखित किये गये हैं, शासकीय सेवक अपने ऐसे स्वकीय मित्रों से, जिनका कि उसके साथ कोई पदीय संव्यवहार न हों, उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार को रिपोर्ट [2][उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर] करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][500 रुपये];

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][200 रुपये]; और

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [3][100 रुपये]।

---

1. अधिसूचना क्रमांक 5-2-76-3-I दिनांक 30-6-1976 द्वारा
(1) नियम 14 के उपनियम (1) में 'शब्द' 'किसी व्यक्ति' के बीच शब्द 'दूसरे' की स्थापित किया गया।
2. सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 370-सी-आर-309-एक (3)-72 दिनांक 29 जून, 1972 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जुलाई, 1972 में प्रकाशित किया गया।
3. नियम 14 (2) और 14 (3) में 500, 250, 100; 200, 100, 50 रुपये के स्थान पर सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी. 5-2-85-3-1, दिनांक 25-4-86 द्वारा क्रमशः 1500, 700, 250; 500, 200 और 100; स्थापित किये गए।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

[1](4) किसी भी अन्य मामले में कोई शासकीय सेवक, शासन की मंजूरी के बिना, कोई उपहार प्रतिगृहीत नही करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी सदस्य को प्रतिगृहीत करने की अनुज्ञा ही देगा, यदि उसका मूल्य—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [2][200 रुपये] और

(दो) तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में [2][50 रुपये] से अधिक है।

[3](5) "कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउण्ट चैक के माध्यम के सिवाय रुपये 2,000 से अधिक का कोई उपहार नकदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

[1]**14-क. कोई शासकीय सेवक.**— (1) दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिये प्रेरित ही करेगा, अथवा

(2) यथास्थिति वधू-वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा :—

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनार्थ "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो उसे दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।

15. शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.— कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो कोई अभिनन्दन पत्र या बिदाई मान-पत्र ग्रहण करेगा, न कोई प्रशंसा-पत्र स्वीकार करेगा और न यह अपने सम्मान में या किसी अन्य शासकीय सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार समारोह में उपस्थित होगा :

परन्तु इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(एक) वस्तुतः प्रायवेट तथा अनौपचारिक प्रकार की बिदाई संबंधी सत्कार समारोह, जो किसी शासकीय सेवक या अन्य किसी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, जिसने हाल ही में किसी शासन की सेवा छोड़ी हो आयोजित किया गया हो, या

(दो) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा तथा सस्ते सत्कार समारोह का स्वीकार किया जाना।

टिप्पणी.— किसी भी शासकीय सेवक पर, उसे किसी बिदाई संबंधी सत्कार समारोह के लिये, भले ही वह वस्तुतः प्राइवेट या अनौपचारिक प्रकार का हो चन्दा देने हेतु उसे उत्प्रेरित करने के लिये किसी भी प्रकार का दवाब या प्रभाव डालना तथा ऐसे किसी शासकीय सेवक के सत्कार समारोह के लिये भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का न हो, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से, किन्हीं भी परिस्थितियों में चन्दा इकट्ठा करना निषिद्ध है।

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

1. अधिसूचना क्रमांक 5-2-76-3-I, दिनांक 30-6-1976 द्वारा :—
   (i) उपनियम (4) जोड़ा गया और नियम 14-क अंतःस्थापित किया गया।
2. नियम 14 (4) में 75, 25 रुपये के स्थान पर म.प्र.वि की अधिसूचना क्र. सी. 5-2-85-3-1, दिनांक 25-4-86 द्वारा क्रमशः 200 और 50 स्थापित किये गये।
3. नियम 14 में उपनियम (5) सा.प्र.वि की अधिसूचना क्र. सी-5-1-83-3-एक, दिनांक 7-12-1983 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 23-12-1983 में प्रकाशित किया गया।

Scanned with CamScanner

*16. प्राइवेट कारोबार या नियोजन.— (1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारोबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में चाहे वह निगमित निकाय या अनिगमित निकाय हो, कोई पदधारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन के लिये किसी अभ्यर्थी/किन्हीं अभ्यर्थियों के लिये प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व को या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारोबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा; या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कम्पनी के, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना —

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चैरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

यह संशोधन सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ। पूर्व में प्रावधान निम्नानुसार था :—

"16. निजी व्यापार या नौकरी.— (1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या कोई भी अन्य नौकरी नहीं करेगा :

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या पूर्व प्रकार का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कभी-कभी होने वाला कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए हाथ में ले सकेगा कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, किन्तु शासन द्वारा इस प्रकार निर्देशित किये जाने पर वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा या उसे बंद कर देगा।

व्याख्या.— शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य से स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित बीमा, एजेन्सी, आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उपनियम का उल्लंघन समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्श्योरेन्स एजेंसी या आढ़त (कमीशन एजेन्सी) का स्वामित्व रखता हो या प्रबंध करता हो।

(3) कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी बैंक या अन्य कम्पनी के, जिसका कि कम्पनीज एक्ट, 1956 (कम्पनी अधिनियम, 1956) (क्रमांक 1, 1956), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित हो या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी सहकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा:

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1960 (मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960) (क्र. 17 सन् 1961), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी संस्था के, जो कि वस्तुतः शासकीय सेवकों के फायदे के लिये, या (मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959) मध्यप्रदेश संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) या प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक वैज्ञानिक या पूर्व संस्था के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबंधक में भाग ले सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस नियम की कोई भी बात शासकीय सेवक द्वारा, शासन की पूर्व मंजूरी से अपने आपको आबद्ध किए गए लेन-देन के संबंध में लागू नहीं होगा।

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी लोक नियम या किसी प्रायवेट व्यक्ति के लिये उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये, विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई फीस नहीं ले सकेगा।"

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसायटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वर्तित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रीड़ाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित हों और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वर्तित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंधन में भाग ले सकेगा :

परन्तु—

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होंगे तथा यह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक माह के भीतर उसके भाग होने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए शासन को रिपोर्ट भेजेगा.

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारोबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो यह शासन को रिपोर्ट देगा।

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिये उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिये प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजन के लिये शब्द, "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिये दिया गया है।

17. विनिधान, उधार देना तथा उधार लेना.— (1) कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टाक, अंश या अन्य विनिधान में सट्टा नहीं लगाएगा।

व्याख्या— अंशों, प्रतिभूतियों/अन्य विनिधानों का बार-बार क्रय या विक्रय दोनों ही इस उपनियम के तात्पर्य के अंतर्गत सट्टा समझे जायेंगे।

(2) कोई भी शासकीय सेवक न ही ऐसा कोई विनिधान करेगा और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को उसका अनुज्ञा देगा जिससे कि वह संभावना हो कि वह उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे उलझन में डाल देगा या प्रभावित कर देगा।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि कोई लेन-देन उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार का है या नहीं तो उस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) (एक) कोई भी शासकीय सेवक किसी बैंक या सम्यक् रूप से बैंक का कारोबार करने के लिये प्राधिकृत किसी सुस्थित फर्म के साथ कारोबार के साधारण क्रम की स्थिति छोड़कर, न तो स्वयं और अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के मार्फत—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो या जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार होने की संभावना हो प्रतिनियोक्ता या अभिकर्ता के रूप में धन उधार लेगा और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति का अपने ऊपर आर्थिक आभार लेगा, या

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर अथवा ऐसी रीति में धन उधार नहीं देगा जिससे कि उसकी वापसी धन के रूप में, वस्तु के रूप में ली जाय या की जाय :

परन्तु शासकीय सेवक किसी संबंधी या स्वकीय मित्र को बिना अल्प रकम का बिल्कुल अस्थाई प्रकार का ऋण बिना ब्याज के दे सकेगा या उससे ले सकेगा या किसी वास्तविक व्यापारी के यहां उधार खाता रख सकेगा या अपने प्राइवेट नौकर को वेतन अग्रिम में दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यह उपनियम किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किए गए लेन-देन पर लागू न होगा :

*परन्तु यह और भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

(दो) जब कोई शासकीय सेवक किसी ऐसे प्रकार के पद पर नियुक्त या स्थानांतरित किया जाय कि जिससे उसके द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबन्धों में से किसी उपबंध का उल्लंघन होता हो, तो वह तुरन्त ही उन परिस्थितियों की रिपोर्ट शासन को करेगा और तत्पश्चात् ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि शासन द्वारा दिये जाये।

†(5) कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम के सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा।

18. ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता.— शासकीय सेवक अपने निजी कार्यों का इस प्रकार प्रबंध करेगा कि स्वभावतः ऋणग्रस्तता या ऋण शोधक्षमता टल सके, ऐसा शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध उसके शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिये या उसे ऋण शोधाक्षम न्यायनिर्णित करने के लिये कोई विधि कार्यवाही प्रारंभ की हो जाय, विधि कार्यवाही से पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट तुरन्त ही शासन को करेगा।

टिप्पणी.— यह सिद्ध करने का भार शासकीय सेवक पर होगा कि ऋण शोधक्षमता या ऋणग्रस्तता ऐसी परिस्थितियों का परिणाम थी जिनका कि शासकीय सेवक का, सामान्य समवेक्षा के प्रयोग से पूर्व बोध नहीं हो सका था या जिनके ऊपर उसका कोई नियंत्रण न था और जो अपव्यय करने या धन उड़ाने की आदतों

* यह परन्तुक सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र, दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ।

† नियम 17 में उपनियम (5), सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-83-एक, दिनांक 7-12-1983 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र, दिनांक 23-12-1983 में प्रकाशित हुआ।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

से उत्पन्न नहीं हुई थी।

19. जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति.— (1) प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहलीबार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर, जो कि शासन द्वारा उल्लिखित किये जाय, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरण निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियाँ देते हुए, ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा—

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर संपत्ति;

(ख) उसके द्वारा दाय में प्राप्त किये गये या उसी प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अर्जित या धारित अंश, ऋण-पत्र तथा नकदी, जिसमें बैंक निक्षेप भी सम्मिलित होंगे;

(ग) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसी प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम सम्पत्ति; और

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिये गये ऋण या अन्य दायित्व।

टिप्पणी.— (एक) उपनियम (1) मामूली तौर से चतुर्थ श्रेणी के सेवकों को लागू नहीं होगा, किन्तु शासन यह निर्देश दे सकेगा कि वह उपनियम (1) किसी ऐसे शासकीय सेवकों की या ऐसे शासकीय सेवकों की श्रेणी को लागू होगा।

टिप्पणी.— (दो) समस्त विवरणियों में, 2,000 रुपये से कम मूल्य की जंगम संपत्ति की मदों का मूल्य जोड़ा जाय तथा एकमुश्त दर्शाया जाये, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में से वस्त्र, बर्तन, चीनी (मिट्टी के बर्तन क्राकरी) पुस्तकों आदि मूल्य की ऐसी विवरणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी.— (तीन) प्रत्येक शासकीय सेवक, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के दिनांक को सेवा में हो, इस उपनियम के अधीन विवरणी ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जो कि शासन द्वारा ऐसा प्रारंभ होने के पश्चात् उल्लिखित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से या न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, बन्धक, क्रय-विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थावर संपत्ति न तो अर्जित करेगा और न उसे हस्तांतरित करेगा :

**परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जाएगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है।

** नियम 19(2) और 19(3) में यह परन्तुक मूलतः निम्नानुसार था :—

'परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाए यदि कोई लेन-देन —

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका कि शासकीय सेवक से पदीय संव्यवहार हो; या

(दो) किसी नियमित या ख्याति व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो।'

उपरोक्त परन्तुक के स्थान पर सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19-9-1988 द्वारा स्थापित किया गया (संशोधन क्र.4)

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
Scanned with CamScanner

†(2-क) यदि कोई शासकीय सेवक या उसके नियोजन अवधि के दौरान उसकी संपत्ति से, मौनता से, या अन्यथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य—

(1) कोई स्थावर संपत्ति क्रय करता है या अपने स्वामित्व में किसी गृह को चाहे अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से निर्मित या पुनर्निर्मित करता है, या

(2) पूर्व से ही अपने स्वामित्व की स्थावर संपत्ति में से किसी में भी चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जैसी भी स्थिति हो रुपये 5000 से अधिक का कोई परिवर्तन या मरम्मत करता है तो ऐसा शासकीय सेवक, यथास्थिति, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत की पूर्व सूचना यथास्थिति उक्त अर्जन, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के लिये प्राक्कलित कुल रकम को प्रकट करते हुए विहित प्राधिकारी को देगा और वह स्रोत जहाँ से कि यथास्थिति वह या उसके परिवार का सदस्य इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित निधि जुटाना प्रस्तावित करता है, भी प्रकट करेगा। यदि यथास्थिति, निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक होना संभावित हो, तो वह आगे और इसकी पूर्व सूचना देगा। कार्य पूर्ण होने पर शासकीय सेवक, ऐसे कार्य की अंतिम लागत और वह स्रोत जहां से कि वास्तविक रूप से निधि जुटाई गई थी उसके समर्थन में दस्तावेजों की, यदि कोई हो, प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक शासकीय सेवक जंगम संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा या तो उसके स्वयं के नाम से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आप को आबद्ध किए गए प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 10000* रुपये से अधिक हो या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 5000* रुपये से अधिक हो :

**परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जाएगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है।

---

† नियम 19 में उपनियम (2-क), सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी.5-1-83-3-एक, दिनांक 7-12-1983 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र, दिनांक 23-12-1983 में प्रकाशित हुआ।

* मूलतः यह राशियाँ क्रमशः रु. 1,000 और 500 थी जिसे सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. सी-5-2-85-3-एक, दिनांक 25-4-86 द्वारा रुपये 2000 और 1000 तथा सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-4-1-87-3-49, दिनांक 19-9-1988 द्वारा रुपये 2000 और 1000 के स्थान पर रुपये 5000 और 2500 तथा सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी 5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा रुपये 5000 और रु. 2500 के स्थान पर रु. 10,000 और रुपये 5000 स्थापित किया गया।

** नियम 19(2) और 19 (3) में यह परन्तुक मूलतः निम्नानुसार था :—

'परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाए यदि कोई लेन-देन —

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका कि शासकीय सेवक से पदीय संव्यवहार हो; या

(दो) किसी नियमित या ख्याति व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो।'

उपरोक्त परन्तुकों के स्थान पर सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19-9-1988 द्वारा स्थापित किए गए (संशोधन क्र.4).

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

†(3-क) "यदि कोई शासकीय सेवक या तो उपनियम (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या किसी वर्ष के लिये ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो समस्त संपत्ति को प्रकट नहीं करता है, जिसका उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है या अन्यथा ऐसी कोई संपत्ति छिपाता है तो उसे अवचार माना जावेगा।"

†(3-ख) "उपनियम (3-क) के अधीन अवचार के कारण की जा रही आनुशासनिक कार्यवाही में यह माना जायेगा कि संपत्ति जिसे विवरणी में सम्मिलित न किया गया हो या जिसका मूल्य गलत दर्शाया गया हो, इन नियमों के उल्लंघनकारी साधनों से उपार्जित की गई है। ऐसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार कि संपत्ति वैधतः उपार्जित की गई है, शासकीय कर्मचारी पर होगा।"

(4) (एक) प्रशासन या विहित प्राधिकारी किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित की गई ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के पूरे और सम्पूर्ण विवरण, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाए, आदेश में उल्लिखित की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दें। ऐसे विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या स्रोत के जिससे कि ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, ब्यौरे दिये जायेंगे यदि शासन या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

(दो) यदि जंगम या स्थावर संपत्ति का, उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक होना पाया जाय, या किसी भी समय पाया गया हो, तो जब तक कि शासकीय सेवक द्वारा उसके विपरीत प्रमाणित न कर दिया जाय, यह धारणा की जायेगी कि वह अर्जन भ्रष्ट स्रोत से था।

(5) शासन तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग को उप नियम (4) को छोड़कर इस नियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा, तथापि कोई भी ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना नहीं दी जायेगी।

व्याख्या.— इस नियम के प्रयोजन के लिये—

(1) अभिव्यक्ति "जंगम संपत्ति" में सम्मिलित है—

(क) रत्नाभूषण (ज्वेलरी) बीमा पालिसियाँ, जिनका वार्षिक प्रीमियम 1,000.00 रुपये से या शासन से प्राप्त हुई संपूर्ण वार्षिक उपलब्धियों के एक छठवांश से, जो भी कम हो अधिक हो, अंश प्रतिभूतियाँ और ऋण-पत्र;

(ख) ऐसे शासकीय सेवकों द्वारा दिये गये ऋण, चाहे वे प्रतिभूति हों या न हो;

(ग) मोटरकारें, मोटर साइकिलें, घोड़े या सवारी से कार्य, अन्य साधन; और

(घ) प्रशीतक (रेफ्रीजरेटर्स) रेडियो और रेडियोग्राम;

*(ङ) टेलीविजन सेट तथा अन्य विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ।

(2) "विहित प्राधिकारी" से तात्पर्य,—

(क) (एक) उस स्थिति को छोड़कर जबकि कोई निम्न प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिये शासन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया जाय, प्रथम श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में शासन;

---

* यह संशोधन सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण), दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ।

† नियम 19 के उपनियम (3) के पश्चात् उपनियम (3-क) और (3-ख) सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक 5-1-83-3-एक, दिनांक 7-12-83 द्वारा अंतःस्थापित किया जो म.प्र. राजपत्र, दिनांक [illegible]

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

(दो) द्वितीय श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में विभागाध्यक्ष;

(तीन) तृतीय श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में कार्यालय प्रमुख;

(ख) किसी भी ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में जो कि विदेश सेवा में हो या किसी अन्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर हो, वह मूल विभाग, जिसके कि संवर्ग (केडर) के ऐसा शासकीय सेवक रखा गया हो या शासन का वह प्रशासकीय विभाग, जिसके कि वह उस संवर्ग के सदस्य के रूप में, प्रशासकीय तौर पर अधीनस्थ हो।

20. शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना.— (1) कोई भी ासकीय सेवक शासन को पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे शासकीय कार्य की, जो प्रतिकूल आलोचना या ानहानिकारक आक्षेप का विषय बन गया हो, निर्दोष सिद्ध करने के लिये किसी न्यायालय या समाचारपत्र का ाहारा नहीं लेगा।

(2) इस नियम की कोई भी बात किसी शासकीय सेवक का, उसके निजी चरित्र या अपनी, निजी सियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने से प्रतिसिद्ध करती हुई नहीं समझी जायेगी ौर जहाँ उसके निजी चरित्र या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध ारने के लिये कार्यवाही की गई हो, वहाँ शासकीय सेवक ऐसी कार्यवाही के बारे में विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट स्तुत करेगा।

21. अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना.— कोई भी शासकीय सेवक शासन ; अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिये किसी वरिष्ठ प्राधिकारी र कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा और न डलवाले का प्रयत्न करेगा।

22. द्विविवाह.— (1) कोई भी शासकीय सेवक जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व ानुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह तत्समय उसको लागू होने ाली वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) कोई भी स्त्री शासकीय सेविका ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की र्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विवाह नहीं करेगी।

[1](3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन त्पीड़न की कोटि में आता हो, यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैंः—

(क) शारीरिक संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण।'

[1](4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित ीतियों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को वचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो।

1\. नियम 22 (2) के पश्चात् सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-1, दिनांक 25-5-2000 द्वारा उपनियम (4) जोड़ा गया।

प्राचार्य
दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

[1]**22-क. अवचार की सामान्य धारणा.**— अवचार की सामान्य धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिशेधों का उल्लंघन कर दिया गया कोई भी कृत या अकृत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अवचार माना जायेगा।

23. मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग.— शासकीय सेवक—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा;

[2](ख) न तो किसी प्रकार का मादक पेय या औषधि लेगा और न ही उसके असर से उसके कर्त्तव्यों के पालन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा;

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः अति उपयोग नहीं होगा;

[3]**स्पष्टीकरण.**— इस नियम के प्रयोजनों के लिये "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय, करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिये अनुज्ञात है।

[3]**23-क. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.**— कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संशोधन

नियम 23-क. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.— कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।

[छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. क्र. 130/27/वीआईपी/2001/3/एक, दिनांक 8-10-2001 द्वारा जोड़ा गया।]

24. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन.— शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इन नियमों के अधीन उसके द्वारा किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति (नियम 23 तथा इन नियमों के अंतर्गत शक्ति को छोड़कर) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाय, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी जो कि उस आदेश में उल्लिखित किया जाय।

26. निरसन तथा व्यावृत्ति— इन नियमों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों तथा उन शासकीय सेवकों को लागू हो जिनको कि वे नियम लागू होते हों, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एल.बी. सरजे, अपर सचिव.

---

1. नियम 22 के पश्चात् नियम 22-क, सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र सी-5-1-88-3-EK, दिनांक 7-12-1983 द्वारा जोड़ा गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23-12-1983 में प्रकाशित हुआ।
2. सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्रमांक 472-792-एक (iii), दिनांक 12-6-1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. यह संशोधन सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ॥

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner